कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए क.भ.नि. अग्रिम से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र.1: कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि से अग्रिम लेने का पात्र कौन है?

उत्तर: क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर्ड किसी भी स्थापना अथवा फैक्ट्री में कार्यरत, क.भ.नि. योजना, 1952 का कोई भी सदस्य जिसके पास यूएएन (यूनिवर्सल खाता संख्या) हो।

प्र.2: क.भ.नि. योजना, 1952 के किस उपबंध के अंतर्गत कोई सदस्य लाभ का पात्र है?

उत्तर: उक्त लाभ प्रदान करने के लिए भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (1) में दिनांक 28.03.2020 को प्रकाशित जी.एस.आर. सं..225 (ई) के माध्यम से क.भ.नि. योजना, 1952 के पैरा 68एल में एक नया उप-पैरा (3) शामिल किया गया है ।

प्र.3: नया लाभकारी उपबंध क्या है?

उत्तर : इस उपबंध द्वारा, समुचित सरकार द्वारा घोषित महामारी अथवा विश्वव्यापी बीमारी से प्रभावित क्षेत्र की किसी स्थापना अथवा फैक्ट्री में कार्यरत क.भ.नि. सदस्य अपने क.भ.नि. खाते से नॉन-रिफंडेबल अग्रिम ले सकेंगे ।

प्र.4: मुझे यह कैसे पता चलेगा कि मैं जिस स्थापना / फैक्ट्री में कार्यरत हूँ, वह कोविड -19 महामारी से प्रभावित घोषित क्षेत्र के अंतर्गत आती है ?

उत्तर : चूंकि समुचित सरकार द्वारा कोविड-19 को देश भर में एक महामारी घोषित किया गया है इसलिए देश भर की स्थापनाओं एवं फैक्ट्रियों में कार्यरत क.भ.नि. योजना, 1952 के सदस्य इसके लिए पात्र हैं ।

प्र.5: इस अग्रिम को लेने के लिए क्या क.भ.नि. सदस्य को कोई प्रमाणपत्र अथवा दस्तावेज़ देना अपेक्षित है?

उत्तर : इस अग्रिम को लेने के लिए क.भ.नि. सदस्य अथवा उसके नियोक्ता को कोई प्रमाणपत्र अथवा दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं करना होगा ।

प्र.6: कोविड-19 से लड़ने के लिए इस नए उपबंध के अंतर्गत मैं अपने क.भ.नि. खाते से कितनी राशि निकाल सकता / सकती हूँ और क्या मुझे इस राशि को वापस करना होगा ?

उत्तर : आप अपने तीन माह के मूल वेतन और मंहगाई भत्ते अथवा अपने क.भ.नि. खाते में जमा राशि के 75% तक, जो भी कम हो, की नॉन-रिफंडेबल निकासी कर सकते हैं । क.भ.नि. खाते में जमा राशि में, कर्मचारी का भाग, नियोक्ता का भाग तथा उस पर ब्याज की राशि शामिल है ।

चूंकि निकासी नॉन-रिफंडेबल है इसलिए इस राशि को वापस करना अपेक्षित नहीं है ।

प्र.7: कृपया लाभों की गणना का उदाहरण दें ।

उत्तर : यदि आज की तारीख में, सदस्य के क.भ.नि. खाते में 50,000/- रुपए हैं तथा मासिक मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता 15,000/- रुपए है,

तो 50,000/- रुपए शेष का 75% हुआ 37,500/- रुपए तथा तीन माह के वेतन की राशि 45000/- रुपए

इस प्रकार, सदस्य 37,500/- रुपए, जो कि दोनों राशि में से कम है, लेने के पात्र होंगे ।

प्र.8: मैं इस राशि का दावा कैसे कर सकता / सकती हूँ ? क्या मुझे ईपीएफओ कार्यालय में दावा फॉर्म प्रस्तुत करना होगा?

उत्तर : यदि आपका यूएएन, आधार एवं बैंक खाते के केवाईसी के साथ सत्यापित है और आपका मोबाईल नंबर आपके यूएएन के साथ सीड किया गया है तो आप अन्य सभी प्रकार के अग्रिम की तरह, इस अग्रिम को लेने के दावे को भी ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

प्र.9: मैं ऑनलाईन दावा कहां और कैसे फाईल कर सकता / सकती हूँ ?

उत्तर : www.epfindia.gov.in वेबसाईट के होम पेज पर "COVID-19" टैब के अंतर्गत ऊपर दाहिनी तरफ के कोने में, ऑनलाईन अग्रिम दावा फाईल करने से संबंधित अनुदेश दिए गए हैं।

यह प्रक्रिया नीचे दी गई है :

- **(क)** यूनिफाईड पोर्टल के सदस्य इंटरफ़ेस में लॉग-इन करें (https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface)
- **(ख)** ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं >> दावा (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी)
- **(ग)** अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और सत्यापित करें
- **(घ)** "Proceed for Online Claim" पर क्लिक करें
- **(ङ)** ड्रॉप डाउन से PF Advance को चुनें (Form 31)
- **(च)** ड्रॉप डाउन से purpose के रूप में "Outbreak of pandemic (COVID-19)" को चुनें
- **(छ)** अपेक्षित राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें
- **(ज)** "Get Aadhaar OTP" पर क्लिक करें
- **(झ)** आधार लिंक्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें
- **(ञ)** दावा प्रस्तुत हो गया है

प्र.10: क्या मैं अपने मोबाईल फोन से दावा प्रस्तुत कर सकता / सकती हूँ ?

उत्तर : जी हाँ, आप अपने मोबाईल फोन से इस प्रकार दावा प्रस्तुत कर सकते हैं ,

i) (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface) पर लॉग-इन करें और दावा फाईल करने से संबंधित प्रश्न 9 के अंतर्गत ए से जे के अनुसार दावा प्रस्तुत करें
अथवा

ii) दावा प्रस्तुत करने के लिए, उमंग मोबाईल ऐप (नए युग के अनुरूप एकीकृत मोबाईल एप्लिकेशन) के माध्यम से Home> EPFO> Employee Centric Services> Raise Claim> अपने यूएएन तथा यूएएन के साथ पंजीकृत मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से लॉग-इन करें

प्र.11: क्या किसी छूट प्राप्त स्थापना में कार्यरत कर्मचारी, भविष्य निधि ट्रस्ट से कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अग्रिम प्राप्त कर सकता है?

उत्तर : क.भ.नि. योजना, 1952 के पैरा 27एए में “छूट के नियम एवं शर्तें ” में उल्लिखित है कि क.भ.नि. योजना, 1952 में किया गया कोई भी संशोधन जो कर्मचारियों को अधिक लाभ प्रदान करता हो, वह ट्रस्ट नियमों में औपचारिक संशोधन के लंबित होने पर भी छूट प्राप्त स्थापनाओं पर लागू होगा।

अत:, किसी छूट प्राप्त स्थापना के कर्मचारी, भविष्य निधि ट्रस्ट में आवेदन करके स्थापना के भविष्य निधि ट्रस्ट के अंतर्गत अपने भविष्य निधि खाते से राशि निकाल सकते हैं ।

प्र. 12: मैंने कुछ ही समय पहले बीमारी के लिए अग्रिम लिया था । क्या मैं कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अग्रिम ले सकता / सकती हूँ ?

उत्तर : जी हाँ । अगर आप पहले भी कोई अग्रिम ले चुके हैं, उसके बावजूद भी आप यह अग्रिम ले सकते हैं ।

प्र. .13: कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अग्रिम हेतु आयकर की दर क्या है ?

उत्तर : क.भ.नि. योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले किसी भी अग्रिम पर आयकर लागू नहीं है ।

प्र.14: मैंने किसी अन्य उद्देश्य हेतु अग्रिम के लिए आवेदन किया था और कम राशि का अनुरोध किया था । अब मैं वह अग्रिम नहीं लेना चाहता / चाहती और कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अग्रिम का दावा प्रस्तुत करना चाहता / चाहती हूँ । हालांकि, पोर्टल द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी जा रही । मुझे क्या करना होगा ?

उत्तर : इस अग्रिम को लेने हेतु नया दावा प्रस्तुत करने के लिए , पहले प्रस्तुत किए गए दावे को रद्द किया जाना आवश्यक है । पूर्व में प्रस्तुत किए गए फॉर्म 31 को रद्द करने के लिए कृपया अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को ई-मेल द्वारा अनुरोध भेजें ।

प्र.15: कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अग्रिम हेतु दावा प्रस्तुत करने के बाद मेरे बैंक खाते में राशि क्रेडिट होने में कितना समय लगेगा ?

उत्तर : परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अग्रिम से संबंधित दावों पर प्राथमिकता पर कार्रवाई की जा रही है ।

प्र.16: मेरे क.भ.नि. खाते का केवाईसी पूरा नहीं है और इसलिए मैं इस दावे को प्रस्तुतनहीं कर पा रहा /रही हूँ ।

उत्तर : यदि आपका यूएएन, आधार एवं बैंक खाते के केवाईसी के साथ सत्यापित है और आपका मोबाईल नंबर आपके यूएएन के साथ सीड किया गया है तो आप इस अग्रिम के लिए ऑनलाईन दावा प्रस्तुत कर सकते हैं । आपसे अनुरोध है कि केवाईसी को पूरा करने के लिए इसे सदस्य पोर्टल पर प्रस्तुत करें । यदि आपका मूल विवरण यानी नाम, जन्म तिथि तथा लिंग वही है जैसा कि आपके आधार में है, तो आप केवाईसी पोर्टल के माध्यम से अपने आधार को लिंक कर सकते हैं । केवाईसी विवरण और क.भ.नि. खाते के विवरण में कोई अंतर होने के मामले में, कृपया अपने नियोकता के माध्यम से जनसांख्यिकीय विवरण सुधार (demographic detail correction) के लिए ऑनलाईन आवेदन करें। बैंक खाते के विवरण को नियोक्ता द्वारा डिजिटल रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए। दावे को ऑनलाईन प्रस्तुत करने के लिए आपके आधार से लिंक्ड मोबाईल पर ओटीपी आएगा। इसलिए आपके आधार का मोबाईल से लिंक होना ज़रूरी है ।

प्र.17: इस उपबंध के अंतर्गत क्या भविष्य निधि शेष की 75% राशि के लिए आवेदन करना आवश्यक है ?

उत्तर : तीन माह के मूल वेतन और मंहगाई भत्ते अथवा अपने क.भ.नि. खाते में जमा राशि के 75% तक, जो भी कम हो, की निकासी, अधिकतम स्वीकार्य सीमा है । आप कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं ।

प्र.18: मैंने 'प्राकृतिक आपदा' उद्देश्य के अंतर्गत अग्रिम के लिए आवेदन किया है । क्या इसे कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अग्रिम समझा जाएगा?

उत्तर : जी नहीं । आपको विशेष रूप से कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अग्रिम हेतु ही आवेदन करना होगा ।

प्र.19: क्या लॉकडाउन होने के बावजूद, ईपीएफओ कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अग्रिम पर कार्रवाई करेगा ?

उत्तर : जी हाँ। सदस्यों को हो रही परेशानियों को कम करने के उद्देश्य से, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अग्रिम से संबंधित दावों का निपटान प्राथमिकता आधार पर किया जा रहा है ।

प्र.20: मैंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी है । क्या मैं कोविड-19 से लड़ने के लिए भविष्य निधि से राशि निकाल सकता / सकती हूँ?

उत्तर : जी हाँ । आप सेवा में रहते हुए यह अग्रिम ले सकते हैं ।